अपील संख्या 2018/00171/225 लादू राम बनाम हरलाल वगैरह, आदेश दिनांक 27.06.2018.

यह अपील श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 15.06.2018, प्रकरण संख्या 37/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया गया हैं। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश के विरूद्ध पेश की हैं, जो अपीलाधीन आदेश की श्रेणी में नहीं आता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है, जो कि न्यायालय की विधिक प्रक्रिया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया है एवम् फिर भी यदि प्रार्थी/अपीलांट की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की गई तो प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई या प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का निवेदन किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नही किया गया तथा प्रार्थी/अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की हैं जो संधारण योग्य नही होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट द्वारा उक्त अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।